



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012020-215650
CG-DL-E-23012020-215650

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283]
No. 283]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 2020/माघ 2, 1941
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 22, 2020/MAGHA 2, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2020

का.आ. 294(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक एवं हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इस आदेश को डोमेस्टिक प्रेशर कुकर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश 1.8.2020 से प्रभावी होगा।

2. मानकों का अनुपालन और मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग—तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुसूची भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा:

बशर्ते कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं या सामान पर इस आदेश से कुछ भी लागू नहीं होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण—ब्यूरो तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
डोमेस्टिक प्रेशर कुकर	आईएस 2347:2017	डोमेस्टिक प्रेशर कुकर - विशेषताएं

नोट: इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए संशोधनों सहित भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण ऐसी अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे। ।

[फा. सं. 11(6)/2017-सीआई]

मनमीत के. नंदा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2020

S.O. 294(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of Section 25 the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government after consulting the Bureau is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Domestic Pressure Cooker (Quality Control) Order, 2020.

(2) This Order shall come into force with effect from 1st August, 2020.

2. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark.—Goods or articles specified in the column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in the column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-I of Schedule –II of Bureau of Indian Standard (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles meant for export.

3. Certification and enforcement authority.—The Bureau shall be the certifying and enforcement authority for the goods or articles specified in the column (1) of the Table.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Domestic Pressure Cooker	IS 2347 : 2017	Domestic Pressure Cooker-Specification

Note: For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof, as notified by the Bureau from time to time, shall apply from date of such notification.

[F. No. 11(6)/2017-CI]

MANMEET K. NANDA, Jt. Secy.